न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 4/2015

निर्णय दिनांकः– 29.1.2016

उनवान

सुतीक्षण मीना पुत्र श्री कालूराम मीना जाति मीना निवासी सी–7, महेशनगर, टोंक फाटक जयपुर जिला जयपुर राज0

–प्रार्थी

बनाम

1.बजरंगा पुत्र रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रतन पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.काली पुत्री रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.छोटी बेवा रामनिवास जाति भील निवासी श्योराजपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.रामफूल पुत्र केसरा जाति मीना निवासी बिठोला तहसील व जिला टोंक
6.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री के0एल0 ठाडा वकील प्रार्थी

श्री श्योजीलाल चौधरी वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे निम्न प्रकार है। यह कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की खरीद शुदा आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक है। जिसे प्रार्थी ने जरिये इकरारनामा दिनांक 16.10.2014 को खातेदारान प्रतिपक्षी 1 ता 4 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से उक्त आराजी पर प्रार्थी का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि प्रतिपक्षी न0 1ता 4 व गंगाराम की पैतृक थी, परन्तु राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजी प्रतिपक्षी न0 1 ता 4 के नाम ही खातेदारी मे दर्ज थी, परन्तु मोके पर वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से पर प्रतिपक्षी 1 ता 4 का व 1/2 हिस्से पर गंगाराम का कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रार्थी ने वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को खातेदारान प्रतिपक्षी 1 ता 4 के नाम से क्रय करते हुये गंगाराम का बतौर सहमति इकरारनामा पर हस्ताक्षर करवाये थे, क्योंकि उक्त आराजी बाबत दावा 26/94 निर्णय दिनांक 2.8.1997 निर्णित हो चुका था। जिसका अमल राजस्व रेकार्ड मे नही था। राजस्व रेकार्ड मे अमल होने के बाद प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 व गंगाराम ने उक्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थी के पक्ष मे कराने बाबत सहमति प्रदान की थी। प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के दिल मे बैईमानी आ जाने से उन्होने वादग्रस्त आराजी उनके नाम खातेदारी मे दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये वादग्रस्त आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 मे से 0.22 है0 भूमि प्रतिपक्षी न0 5 के नाम दिनांक 7.1.2015 को विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया, जबकि मोके पर आज भी प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रतिपक्षी न0 5 अब प्रार्थी के हक व अधिकारों को चेलेन्ज करते हुये जबरन उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमदा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये **अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द** किया जावे कि वे आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक मे प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना ही काश्त मे बाधा डाले। प्रतिपक्षी न06 को पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिपक्षी न0 1 ता 4 के हिस्से 1/2 के राजस्व रिकार्ड मे यथावत बनाये रखे।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिश्ते ली जाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण 1 ता 4 के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी, जिन्होन जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्रतिवादी न0 5 को विकय कर दी है, जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 ने अपने खातेदारी भूमि का काई भी हिस्सा कभी प्रार्थी को विकय नही किया है और ना ही किसी प्रकार का इकरारनामा निष्पादित किया गया है। प्रार्थी ने फर्जी व बनावटी इकरारनामा तैयार कर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है । प्रार्थी का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा और ना ही आज मौके पर है, बल्कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण 1 ता 5 बतौर मालिक व स्वमी काबिज काश्त है तथा खातेदार है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। उभय पक्षों के वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 बजरंगा पुत्र रामनिवास, रतन काली पुत्री रामनिवास छोटी बेवा रामनिवास हि0 1/2, गंगाराम पुत्र बिरधा हि01 1/2 जाति भील दर्ज हैं। प्रार्थी के द्वारा इकरारनामा बेचान दिनांक 16.10.2014 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जो नोटेरी पब्लिक के द्वारा प्रमाणित की गई है, जिसके अनुसार बजरंगा पुत्र रामनिवास, रतन पुत्री रामनिवास, काली पुत्री रामनिवास व छोटी बेवा रामनिवास ने जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069 मे वर्णित आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 है0 बारानी दितीय वाके ग्राम ककोड को 24,00,000/– अक्षरे रूपये चोवीस लाख रूपये मे केता सुतीक्षण मीना पुत्र श्री कालूराम मीना जाति मीना निवासी सी–7, महेशनगर, टोंक फाठक जयपुर जिला जयपुर राज0 को विकय करना तय किया है तथा प्रतिफल राशि मे से 10,00,000/– अक्षरे दस लाख रूपये की राशि नगर रूबरू गवाहान प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। पत्रावली पर उपलब्ध छाया प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 7.1.15 के अनुसार आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 मे से 0.22 है0 बजरंगा पुत्र रामनिवास, रतन काली पुत्री रामनिवास छोटी बेवा रामनिवास ने 1,00,000/– मे प्रतिपक्षी न0 5 रामफूल पुत्र केसरा जाति मीना निवासी बिठोला तह0 व जिला टोंक को विकय किया है। प्रतिपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति इकरारनामे को बनावटी व फर्जी बताया गया है। प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी के बारे मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.1.15 को थाना बनेठा मे भी दर्ज करवाई गई है। वादग्रस्त भूमि के बारे मे प्रकरण 65/15 सरकार बनाम बजरंगा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 उनियारा मे जेरकार है। वादग्रस्त भूमि के बारे मे दोनों पक्ष अपना अपना कब्जा बता रहे है, जिसका निस्तारण मूल वाद मे साक्ष्य व सबूत आने पर ही तय हो पावेगा। प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 के द्वारा विकय की गई भूमि का अभी तक राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद

उप ... अधिकारी
... टोंक

Scanned by CamScanner

नही हुआ है। यदि उक्त बैचान का राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद हो जाता है तो दोनों पक्षों मे वाद की बाहुलता बढेगी।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादग्रस्त भूमि आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक के रिकार्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझता है। अतः दोनों पक्षों को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 1713 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक के रिकार्ड व मोके की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.1.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाष चन्द शर्मा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner